



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102022-239921  
CG-DL-E-28102022-239921

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 28, 2022/कार्तिक 6, 1944

No. 706]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 2022/KARTIKA 6, 1944

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2022

सा.का.नि. 793(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 525 के उप-नियम (2) में खण्ड (v) की मद (त) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(त) अगरतला में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ को किराए पर लेने या पुनर्स्थापना या क्षमता संवर्द्धन के लिए बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड से बांग्लादेश के कॉक्स बाजार या कुआकता, से होकर भारत संचार निगम लिमिटेड के उल्लिखित बैंडविड्थ को किराए पर लेने या पुनर्स्थापन या क्षमता संवर्द्धन की वास्तविक तारीख से समझौता ज्ञापन में उल्लिखित अवधि तक समर्थन किया जाना है"।

[फा. सं. 30-170-1/2021/कॉक्स बाजार/ यूएसओएफ]

आनंद सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआर 1546, तारीख 06 अक्टूबर, 1951 में प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि 781(अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2022 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

### (Department of Telecommunications)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2022

**G.S.R. 793(E).**—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely: -

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (2<sup>nd</sup> Amendment) Rules, 2022.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 525, in sub-rule (2), in clause (v), for item (p), the following item shall be substituted, namely: -  
“(p) For hiring or restoration or capacity enhancement of International Bandwidth for internet connectivity to Agartala from Bangladesh Submarine Cable Company Limited Bangladesh via Cox Bazar or Kuakata, Bharat Sanchar Nigam Limited to be supported for a period mentioned in the Agreement from the actual date of hiring or restoration or capacity enhancement of the aforesaid bandwidth.”.

[F. No. 30-170-1/2021/Cox Bazar/USOF]

ANAND SINGH, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number SR 1546, dated the 6th October, 1951 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 781(E) dated the 13<sup>th</sup> October, 2022.